MADHYA PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION
BHOPAL

वार्षिक प्रतिवेदन
Annual Report

वित्तीय वर्ष 2020-21

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग

वार्षिक प्रतिवेदन

(वित्तीय वर्ष 2020—2021)

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग

पंचम तल, ''मेट्रो प्लाजा'' बिट्टन मार्केट, भोपाल—462016
फोन—0755—2430154, 2463585, फैक्स— 2981055
ई—मेल : secretary@mperc.nic.in
वेबसाईट : www.mperc.in

विषय सूची

अध्याय	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
1.	आयोग की संरचना ।	3
2.	कार्यकारी संक्षिप्त विवरण ।	4
3.	वित्तीय वर्ष के दौरान जारी किए गए टैरिफ आदेशों का संक्षिप्त विवरण ।	5 से 8
4.	वित्तीय वर्ष के दौरान जारी किए गए खुदरा प्रदाय टैरिफ आदेशों के मुख्य बिंदु ।	9
5.	वित्तीय वर्ष के दौरान जारी विनियम जिसमें विद्यमान विनियम में संशोधन/ परिवर्धन सम्मिलित ।	10
6	वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त एवं निराकृत की गई याचिकाओं की संख्या ।	11
7.	वित्तीय वर्ष के दौरान विद्युत उपभोक्ता शिकायत प्रतितोषण क्रियाविधि की कार्य पद्धति ।	12
8.	राज्य परामर्शदात्री समिति की जानकारी ।	13 से 14

अध्याय – 1

आयोग की संरचना

श्री एस.पी.एस. परिहार द्वारा दिनांक 15/7/2020 को आयोग के अध्यक्ष पद का कार्यभार ग्रहण किया गया है। आयोग के दो सदस्य क्रमशः श्री मुकुल धारीवाल दिनांक 2/1/2018 से तथा श्री शशि भूषण पाठक दिनांक 16/8/2019 से पदस्थ हैं।

आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों का विवरण
(वित्तीय वर्ष 2020–21 की स्थिति में)

सरल क्रमांक	नाम	पदनाम	कार्य भार ग्रहण तिथि	कार्यकाल	वर्तमान/ सेवानिवृत्त
1.	श्री एस.पी.एस. परिहार	अध्यक्ष	15.7.2020	02.01.2025	वर्तमान
2.	श्री मुकुल धारीवाल	सदस्य	02.01.2018	01.01.2023	वर्तमान
3.	श्री शशि भूषण पाठक	सदस्य (विधि)	16.08.2019	9.12.2021	वर्तमान

अध्याय – 1

आयोग की संरचना

श्री एस.पी.एस. परिहार द्वारा दिनांक 15/7/2020 को आयोग के अध्यक्ष पद का कार्यभार ग्रहण किया गया है। आयोग के दो सदस्य क्रमशः श्री मुकुल धारीवाल दिनांक 2/1/2018 से तथा श्री शशि भूषण पाठक दिनांक 16/8/2019 से पदस्थ हैं।

आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों का विवरण
(वित्तीय वर्ष 2020–21 की स्थिति में)

सरल क्रमांक	नाम	पदनाम	कार्य भार ग्रहण तिथि	कार्यकाल	वर्तमान/ सेवानिवृत्त
1.	श्री एस.पी.एस. परिहार	अध्यक्ष	15.7.2020	02.01.2025	वर्तमान
2.	श्री मुकुल धारीवाल	सदस्य	02.01.2018	01.01.2023	वर्तमान
3.	श्री शशि भूषण पाठक	सदस्य (विधि)	16.08.2019	9.12.2021	वर्तमान

अध्याय – 2

कार्यकारी संक्षिप्त विवरण

2.1 मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (मप्रविनिआ) का गठन, विद्युत नियामक आयोग अधिनियम, 1998 के अंतर्गत किया गया । तत्पश्चात् राज्य शासन द्वारा 3 जुलाई 2001 को विद्युत सुधार अधिनियम 2000 प्रभावी किया गया तथा नियामक आयोग को इस राज्य अधिनियम के अन्तर्गत गठित माना गया । इसके पश्चात् केन्द्र सरकार द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 अधिनियमित किया गया, जो कि विद्युत क्षेत्र से संबंधित एक व्यापक विधान है, जिसके अंतर्गत म.प्र. विद्युत नियामक आयोग, को गठित एवं कार्यशील माना गया है ।

2.2 विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 105 के अनुसार, आयोग से प्रत्येक वर्ष में पूर्व वर्ष की गतिविधियों के संक्षिप्त विवरण को दर्शाते हुए एक वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करने की अपेक्षा की गई है, जिसके अनुसार प्रतिवेदन की प्रतिलिपियाँ राज्य शासन को प्रेषित की जाती है, जिसे राज्य सरकार द्वारा विधानसभा के पटल पर प्रस्तुत किया जाता है । मध्य प्रदेश शासन द्वारा ''मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (वार्षिक रिपोर्ट), नियम 2019'' जारी किए गए हैं ।

2.3 मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा तद्नुसार वार्षिक प्रतिवेदन तैयार कर इसे राज्य शासन को प्रेषित किया जा रहा है। यह प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2020–21 से संबंधित है ।

अध्याय – 3

(अ) वित्तीय वर्ष के दौरान जारी किए गए टैरिफ आदेशों का संक्षिप्त विवरण

दिनांक 1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 की अवधि के दौरान विद्युत उत्पादन, पारेषण तथा राज्य भार प्रेषण केन्द्र से संबंधित जारी किये गये टैरिफ आदेश

सरल क्रमांक	याचिका क्रमांक	याचिकाकर्ता का नाम	विषय	आदेश दिनांक
1	P-44/2019	मेसर्स JPVL, निगरी	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 तथा 86(1) (क) सहपठित मप्रविनिआ विद्युत उत्पादन टैरिफ विनियम, 2015 के अन्तर्गत निगरी जिला सिंगरौली (मप्र) स्थित 2x660 मेगावाट कोयला आधारित ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र (पावर स्टेशन) हेतु बहुवर्षीय टैरिफ आदेश दिनांक 29.11.2018 के माध्यम से आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु अवधारित विद्युत–दर (टैरिफ) के सत्यापन हेतु दाखिल की गई सत्यापन याचिका विषयक।	26.11.2020
2	P-47/2019	मेसर्स JPVL, बीना	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 तथा 86(1) (क) सहपठित मप्रविनिआ विद्युत उत्पादन टैरिफ विनियम, 2015 के अन्तर्गत बीना स्थित 2x250 मेगावाट कोयला आधारित ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र (पावर स्टेशन) हेतु बहुवर्षीय टैरिफ आदेश दिनांक 08.08.2016 के माध्यम से आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु अवधारित विद्युत–दर (टैरिफ) के सत्यापन हेतु दाखिल की गई सत्यापन याचिका विषयक।	16.12.2020
3	P-21/2020	एमबी पावर (एमपी) लिमिटेड	बहुवर्षीय टैरिफ आदेश दिनांक 01.12.2017 के माध्यम से आयोग द्वारा अनूपपुर स्थित कोयला आधारित 2x600 मेगावाट की इकाई क्रमांक 1 (600 मेगावाट) हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु अवधारित विद्युत–दर (टैरिफ) के सत्यापन हेतु दाखिल की गई सत्यापन याचिका विषयक।	08.02.2021
4	P-22/2020	एमबी पावर (एमपी) लिमिटेड	बहुवर्षीय टैरिफ आदेश दिनांक 29.11.2018 के माध्यम से आयोग द्वारा अनूपपुर स्थित कोयला आधारित 2x600 मेगावाट की इकाई क्रमांक 2 (600 मेगावाट) हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु अवधारित विद्युत–दर (टैरिफ) के सत्यापन हेतु दाखिल की गई सत्यापन याचिका विषयक।	10.02.2021

सरल क्रमांक	याचिका क्रमांक	याचिकाकर्ता का नाम	विषय	आदेश दिनांक
5	P-27/2020	मेसर्स झाबुआ पावर लिमिटेड	बहुवर्षीय टैरिफ आदेश दिनांक 30.11.2018 के माध्यम से आयोग द्वारा बरेला, गोरखपुर जिला सिवनी स्थित कोयला आधारित 1x600 मेगावाट ताप विद्युत उतपादन केन्द्र (पावर स्टेशन हेतु) की इकाई (600 मेगावाट) हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु अवधारित विद्युत–दर (टैरिफ) के सत्यापन हेतु दाखिल की गई सत्यापन याचिका विषयक ।	05.01.2021
6	P-28/2020	एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86(1) तथा 63 के अधीन विद्युत मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों (गाइडलाइन्स) के अनुसार रूपांकन, निर्माण, वित्त, स्वामित्व तथा संचालन (Design, Build, Finance, own and operate-DBFOO) के आधार पर स्थापित किये जाने वाले 1320 मेगावाट ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र (थर्मल पावर स्टेशन) से 1230 मेगावाट विद्युत की दीर्घ–अवधि अधिप्राप्ति (प्रोक्यूरमेंट) हेतु पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से अवधारित विद्युत–दर को अपनाए जाने विषयक।	26.05.2020
7	P-46/2019	राज्य भार प्रेषण केन्द्र (SLDC), जबलपुर	वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिये राज्य भार प्रेषण केन्द्र (SLDC) हेतु सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (ARR) का अवधारण, वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता का सत्यापन तथा वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु राज्य भार प्रेषण केन्द्र, जबलपुर द्वारा शुल्क तथा प्रभारों का उद्ग्रहण एवं संग्रहण विषयक ।	23.11.2020
8	P-39/2019	पावरग्रिड भिण्ड, गुना ट्रांसमिशन लिमिटेड, गुड़गांव	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 14,15, 86(1)(घ) सहपठित मप्रविनिआ (अनुज्ञा पत्र हेतु आवेदन की प्रक्रिया) विनियम, 2004 के अन्तर्गत पावरग्रिड भिण्ड–गुना ट्रांसमिशन लिमिटेड को पारेषण अनुज्ञप्ति (लायसेंस) जारी करने हेतु आवेदन विषयक ।	16.12.2020
9	P-38/2019	पावरग्रिड भिण्ड, गुना ट्रांसमिशन लिमिटेड, गुड़गांव	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के अन्तर्गत पावरग्रिड भिण्ड–गुना ट्रांसमिशन लिमिटेड द्वारा स्थापित की जा रही पारेषण प्रणाली के संबंध में पारेषण प्रभारों को अपनाए जाने हेतु आवेदन विषयक ।	26.12.2020

सरल क्रमांक	याचिका क्रमांक	याचिकाकर्ता का नाम	विषय	आदेश दिनांक
10	P-45/2019	एमपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर	बहुवर्षीय टैरिफ आदेश दिनांक 10 जून, 2016 के माध्यम से मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा वर्ष 2018–19 हेतु अवधारित पारेषण टैरिफ के सत्यापन विषयक ।	08.02.2021
11	P-42/2020	एमपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर	बहुवर्षीय टैरिफ (वित्तीय वर्ष 2019–20 से वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु) की नियन्त्रण अवधि से सम्पाती (coincide) होने बाबत् पारेषण कार्यों के संबंध में पूंजीगत निवेश योजना के अनुमोदन हेतु मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड की याचिका विषयक ।	12.03.2021
12	P-50/2020	मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड	भारत सरकार द्वारा परवर्तित की गई प्रधान मन्त्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्पादन महाअभियान (प्रधानमन्त्री कुसुम) योजना के घटक (component)-A के अधीन स्थापित किये जाने वाले 500 किलोवाट से दो मेगावाट क्षमता के विकेन्द्रित सौर ऊर्जा संयन्त्रों हेतु विद्युत के विक्रय हेतु पोषण विद्युत–दर (Feed-in-Tariff) के अवधारण हेतु याचिका विषयक ।	16.02.2021

(ब) खुदरा प्रदाय विद्युत टैरिफ तथा सत्यापन आदेश

क्रमांक	खुदरा प्रदाय विद्युत दर आदेशों के विवरण	जारी करने की तिथि
1	याचिका क्रमांक 49/2019 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु एम.पी. पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड तथा राज्य की तीनों वितरण कंपनियों (म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर, म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इंदौर तथा म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल) के लिए खुदरा प्रदाय विद्युत दर आदेश।	17.12.2020
2	याचिका क्रमांक 54/2020 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु एस.ई.जेड., पीथमपुर के लिए खुदरा प्रदाय विद्युत दर आदेश।	12.03.2021

अध्याय – 4

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान जारी किए गए खुदरा प्रदाय टैरिफ आदेशों के मुख्य बिंदु

वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए खुदरा विद्युत प्रदाय हेतु टैरिफ आदेश आयोग द्वारा दिनांक 17.12.2020 को पारित किया गया है। इस आदेश की मुख्य विशिष्टताएं निम्नानुसार है :–

वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिये जारी विद्युत दर निर्धारण आदेश के मुख्य बिन्दु

1. विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा रूपये 40,016 करोड़ की कुल राजस्व आवश्यकता एवं मौजूदा दरों पर रू. 2,169 का राजस्व अंतर दर्शाया गया एवं इस राजस्व अंतर की पूर्ति हेतु वर्तमान टैरिफ में 5.73 प्रतिशत वृद्धि प्रस्तावित की गई थी।
2. आयोग द्वारा रूपये 37,673 करोड़ की कुल राजस्व आवश्यकता जिसमें म.प्र. पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड की वित्तीय वर्ष 2017–18 की टैरिफ सत्यापन राशि रूपये 522 करोड़ शामिल है, को मान्य किया गया। इसी आधार पर रूपये 730 करोड़ के राजस्व अंतर को मान्य किया गया । आयोग द्वारा उक्त राजस्व अंतर की पूर्ति हेतु तत्समय लागू टैरिफ में 1.98 प्रतिशत की वृद्धि को मान्य किया गया ।
3. निम्नलिखित श्रेणी मे टैरिफ वृद्धि नहीं की गई :–
   (अ) 30 यूनिट तक खपत वाले 100 वॉट विद्युत भार तक के घरेलू उपभोक्ता ।
   (ब) निम्न दाब उद्योग ।
   (स) विवाह समारोह एवं अन्य सामाजिक तथा धार्मिक कार्यक्रमों के लिये अस्थाई संयोजन।
   (द) ई–वाहन/ई–रिक्शा चार्जिंग स्टेशन ।
   (इ) रेल्वे ट्रेक्शन ।
4. इस टैरिफ आदेश में मीटरिंग शुल्क को मान्य नहीं किया गया फलस्वरूप उपभोक्ताओं द्वारा मीटर किराया देय नहीं है।
5. स्वयं के गृह निर्माण हेतु अस्थाई संयोजन बाबत् विद्युत दर (टैरिफ) को कम करते हुए इसकी वर्तमान 1 वर्ष की अधिकतम अवधि को बढ़ाकर 3 वर्ष किया गया ।
6. एच.वी. 5 श्रेणी का युक्तियुक्तकरण करते हुए, एच.वी. 5.1 (सार्वजनिक जल प्रदाय कार्य, समूह सिंचाई तथा उद्वहन सिंचाई) एवं एच.वी. 5.2 (कृषि संबंधी अन्य उपयोग) श्रेणियों का संविलियन किया गया ।
7. कृषि उपभोक्ता – राज्य शासन द्वारा देय सब्सिडी के दृष्टिगत, 10 हार्सपावर विद्युत भार तक के फ्लैट रेट कृषि उपभोक्ताओं द्वारा रूपये 750 प्रति हार्स पावर प्रति वर्ष तथा 10 हार्स पावर से अधिक विद्युत भार के फ्लैट रेट कृषि उपभोक्ताओं द्वारा रूपये 1500 प्रति हार्स पावर प्रति वर्ष की दर से विद्युत बिल देय होगा।

1 तीनों विद्युत वितरण कम्पनियों को विनियम में दिये गये प्रावधानों के अनुरूप ही वितरण हानियों के स्तर को ग्राहय किया गया है ।

विद्युत वितरण कंपनी का नाम	वर्ष 2020–21 के लिए ग्राहय वितरण हानियों का स्तर
म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कं. लि., जबलपुर ।	16%
म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कं. लि., इंदौर ।	15%
म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कं. लि., भोपाल ।	17%

अध्याय – 5

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान जारी विनियम जिसमें विद्यमान विनियम में संशोधन/परिवर्धन सम्मिलित है।

स. क्रं.	विवरण	अधिसूचना क्रमांक	अधिसूचना/ दिनांक
1	म0प्र0वि0नि0आ0 (विद्युत प्रदाय एवं चक्रण के टैरिफ अवधारण संबंधी निबंधन तथा शर्तें तथा प्रभारों के निर्धारण के संबंध में विनियम तथा सिद्धांत) विनियम, 2015 में तृतीय संशोधन।	1381/म0प्र0वि0नि0आ0 /2020	27.11.2020
2	मध्य प्रदेश विद्युत संतुलन तथा व्यवस्थापन संहिता, 2015 (प्रथम संशोधन)	क्रमांक ए.आर.जी.-34(I)(i) of 2020	12.06.2020

अध्याय – 6

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान प्राप्त एवं निराकृत की गई याचिकाओं की कुल संख्या

अनुज्ञापन एवं विनियम संचालनालय :–

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान कुल 24 याचिकाएं पंजीकृत की गई। पूर्व वर्ष की 32 याचिकाएं प्रक्रियाधीन थी। इस प्रकार कुल 56 याचिकाओं में से 44 याचिकाओं का निराकरण किया गया, जबकि शेष 12 याचिकाओं पर प्रक्रिया अगले वित्तीय वर्ष अर्थात् 2021–22 में जारी रहेगी।

विनियम प्रवर्तन संचालनालय :–

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान कुल 14 याचिकाएं पंजीकृत की गई। पूर्व वर्ष की 16 याचिकाएं शेष थी, इस प्रकार कुल 30 याचिकाओं में से 07 याचिकाओं का निराकरण किया गया, जबकि शेष 23 याचिकाओं पर प्रक्रिया अगले वित्तीय वर्ष अर्थात् 2021–22 में जारी रहेगी।

टैरिफ संचालनालय :–

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान कुल 22 याचिकाएं पंजीकृत की गई। पूर्व वर्ष की 10 याचिकाएं प्रक्रियाधीन थी। इस प्रकार कुल 32 याचिकाओं में से 20 याचिकाओं का निराकरण किया गया, जबकि शेष 12 याचिकाओं पर प्रक्रिया अगले वित्तीय वर्ष अर्थात् 2021–22 में जारी रहेगी।

LR - 44
RE - 07
Tar - 20
71

अध्याय – 7

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान विद्युत उपभोक्ता शिकायत प्रतितोषण क्रियाविधि की कार्य पद्धति

मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत उपभोक्ता शिकायत प्रतितोषण क्रियाविधि की कार्य पद्धति के लिये अधिसूचना दिनांक 30 अप्रैल, 2004 के माध्यम से ''मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) विनियम, 2004'' तथा अधिसूचना दिनांक 28 अगस्त, 2009 के द्वारा ''मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2009'' को अधिसूचित किया है । जिसमें मुख्य उद्देश्य निम्न हैः–

फोरम का गठन

प्रत्येक विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारी, विद्युत अधिनियम की धारा 42 (5) के अंतर्गत फोरम का गठन करेगा, जिसे इन विनियमों के अनुसार उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण हेतु 'विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम' नामोद्दिष्ट किया जाएगा । फोरम उपभोक्ताओं की शिकायतों का निपटारा सामान्यतः छः सप्ताह की अवधि के भीतर करेंगे जो किसी भी दशा में आठ सप्ताह से अधिक न होगी । तद्नुसार तीनों वितरण कंपनियों द्वारा उनके मुख्यालयों पर उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम का गठन किया गया है, ये फोरम क्रमशः जबलपुर, भोपाल एवं इंदौर में कार्यशील है ।

विद्युत लोकपाल

आयोग समय–समय पर ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को, जैसा आयोग उचित समझे, अधिनियम की धारा 42 की उपधारा (7) में वर्णित कृत्यों का निर्वहन करने हेतु विद्युत लोकपाल के रूप में नियुक्त अन्यथा नामोद्दिष्ट कर सकेगा। उपभोक्ता फोरम के निर्णय से असंतुष्ट होने पर उपभोक्ताओं को अपनी शिकायत के निराकरण हेतु विद्युत लोकपाल के समक्ष अपील करने का विकल्प है । विद्युत लोकपाल विद्युत, नियामक आयोग के अंतर्गत भोपाल में कार्यशील है ।

अध्याय – 8

राज्य परामर्शदात्री समिति से संबंधित जानकारी ।

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 87 के अंतर्गत आयोग द्वारा एक राज्य सलाहकार समिति गठित किए जाने का प्रावधान है । इस राज्य सलाहकार समिति में निम्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व उपरोक्त अधिनियम के प्रावधान अनुसार रहता है:–

वाणिज्य, उद्योग, परिवहन, कृषि, श्रमिक/मजदूर, उपभोक्तागण, गैर सरकारी / अशासकीय संगठन, शैक्षणिक और विद्युत क्षेत्रों के शोध संस्थाओं में से चयन उपरांत सदस्य मनोनीत कर मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग की राज्य सलाहकार समिति का गठन किया गया है । सलाहकार समिति की बैठक आयोग द्वारा आयोजित की जाती है । समिति में आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यगण, राज्य सलाहकार समिति के क्रमशः पदेन अध्यक्ष एवं सदस्य है । राज्य शासन के, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रमुख सचिव, समिति के पदेन सदस्य हैं । राज्य सलाहकार समिति के अन्य सदस्य निम्नानुसार है :–

स.क्र.	नाम	पता	वर्ग
1	श्री द्वारिका गुप्ता	अध्यक्ष, विंध्य चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री, नियर सर्किट हाउस चौक, सतना (म.प्र.)–485001	वाणिज्य
2	श्री महेश गुप्ता	अध्यक्ष, ''लघु उद्योग भारती'', 99, पोलोग्राउण्ड, इंदौर–453003 (म.प्र.)	उद्योग
3	श्री उल्लास वैद्य	मेसर्स शिर्डी टाइल्स, 56/57, इण्डस्ट्रीयल ऐरिया, मक्सी रोड, उज्जैन (म.प्र.)–456010	उद्योग
4	श्री महेन्द्र पी. खंते	उपाध्यक्ष, (ई एण्ड आई), वर्धमान फेब्रिक्स, विल पिलिकरर, तालपुरा, रेहटी रोड, तह. बुदनी, जिला–सीहोर (म.प्र.)–466445	उद्योग
5	श्री मनोज मोदी	अध्यक्ष, एसोसिएशन ऑफ ऑल इण्डस्ट्रीज, 86 मालवीय नगर, भोपाल (म.प्र.)–462003	उद्योग
6	श्री विपिन कुमार जैन	मध्यप्रदेश लघु उद्योग संघ, ई–2/20, अरेरा कालोनी, महावीर नगर, भोपाल–462016 (म.प्र.)	उद्योग

स.क्र.	नाम	पता	वर्ग
7	मुख्य विद्युत वितरण अभियंता	पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर, (म.प्र.)–483119	परिवहन
8	श्री सुनील गौर	अध्यक्ष, नर्मदा बीज उत्पादन सहकारी समिति मर्यादित, रेवगांव, तह. बुदनी जिला– सीहोर (म.प्र.)–466001	कृषि
9	श्री हरि बिसानी	कृषक, बनखेड़ी, तह. पिपरिया, जिला–होशंगाबाद (म.प्र.)–461990	कृषि
10	श्री दिलीप कुमार झुमकलाल भण्डारी	ग्राम व तहसील–पेटलावद, जिला–झाबुआ (म.प्र.)–457773	कृषि
11	श्री दयाराम पाटीदार	उपाध्यक्ष, भारतीय किसान संघ, मालवा क्षेत्र, ग्राम– बुदियाखेड़ी, पोस्ट–सिधाना, तह. मनावर जिला–धार (म.प्र.)–454446	कृषि
12	श्री के.के. तिवारी	मध्यप्रदेश बिजली कर्मचारी महासंघ, परदेशीपुरा, इंदौर (म.प्र.)–452011	श्रमिक / मजदूर
13	श्री नरेन्द्र पाटीदार	ग्राम–गुरदियालाल मुहा, तह. दालोदा, जिला– मंदसौर (म.प्र.)–458667	उपभोक्ता
14	सुश्री स्मिता सक्सेना	अध्यक्ष, आशा स्मिता फाउण्डेशन, सी–99, न्यू मिनाल रेसीडेंसी, जिला–भोपाल (म.प्र.)–462023	गैर शासकीय संगठन
15	श्रीमती अर्चना भटनागर	मध्यप्रदेश एसोसिएशन ऑफ वूमन एण्ड इन्टरप्रेन्यूर, 433 / 2, नेपियर टाउन, हउबाग रेलवे स्टेशन रोड, नियर मंगनी हॉस्पिटल, जबलपुर (म.प्र.)–462008	गैर शासकीय संगठन
16	श्रीमती सविता नेमा	मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलजी (मैनिट), भोपाल (म.प्र.)–462007	शैक्षणिक एवं अनुसंधान
17	श्री बी.ए. सावले	एडिशनल डायरेक्टर, सेन्ट्रल पॉवर रिसर्च इंस्टीट्यूट, गोविन्दुपरा, भोपाल (म.प्र.)–462023	शैक्षणिक एवं अनुसंधान

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, "मेट्रो प्लाजा" बिट्टन मार्केट, भोपाल-462016
फोन : 0755-2430154, 2464643, फैक्स : 0755-2981055
ई-मेल : secretary@mperc.nic.in
वेबसाईट : www.mperc.in